आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
5/8/19	**न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर मेदिनीनगर|** दा० खा० अपील वाद सं०-XV /18-19 15 श्रीमती गीता देवी .... अपीलार्थी बनाम राज्य सरकार - विपक्षी **आदेश** यह दाखिल खारिज अपील वाद विद्वान अंचल अधिकारी सतबरवा द्वारा दाखिल ख़ारिज वाद स० 87R27 /2017-18 में दिनांक 30.11.17 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है ,जिस आदेश के द्वारा अंचल अधिकारी ने आवेदिका/ अपीलार्थी द्वारा ग्राम-कमारू थाना मेदिनीनगर (अंचल सतबरवा)का खाता न० -100 प्लाट न० 272 रकबा 0.24 प्लाट न० 273 रकबा 0.06½ एकड़ ,खाता न० 109 ,प्लाट न०- 275 रकबा 0.02½ एकड़ एवं प्लाट न० 276 रकबा 0.10 एकड़ कुल रकबा 0.43 एकड़ भूमि के लिए दायर दाखिल ख़ारिज आवेदान अस्वीकृत किया गया है |अपील अंगीकृत करते हुए विपक्षी को सुचना निर्गत की गयी | अपीलार्थी का दावा है की प्रश्नगत भूमि महेश्वर साव	8 14/5 [illegible]

पिता जयनंदन साव की मौरूसी भूमि है जो पारिवारिक आपसी बटवारा में उन्हें प्राप्त है, जिसका संयुक्त जमाबंदी चल रही है | अपीलार्थी ने उक्त महेश्वर साव से प्रश्नगत भूमि निबंधित केवाला स० 3193 /3119 दिनांक 18.7.201 7 से क्रय किया है तथा क्रय की तिथि से दखल कब्ज़ा में है तथा इसके पूर्व हिस्सा अनुसार विक्रेता का दखल कब्ज़ा था | अपीलार्थी का दावा है की प्रश्नगत भूमि से इसके अन्य हिस्सेदारों का कोई सरोकार नहीं है |किन्तु अंचल अधिकारी ने बिना स्थलीय जांच के ही अपीलार्थी का दाखिल ख़ारिज का आवेदन अस्वीकृत कर दिया है | तथा दाखील ख़ारिज करने से इंकार कर दिया है, जो न्यायोचीत नहीं है | अपीलार्थी का दावा है कि अंचल अधिकारी सतबरवा द्वारा पारित आदेश अवैध है जो ख़ारिज के योग्य है |

अपीलार्थी ने दाखिल ख़ारिज वाद स० 87R 27/17-18 मे दिनांक 30.11.17 का पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलीपि दाखिल किया है | अंचल अधिकारी सतबरवा द्वारा दिनांक 30.11.17 के पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है की प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी संयुक्त है | हिस्सेदारों के बिच क़ानूनी बटवारा नही हुआ है अन्य हिस्सेदारों द्वारा दाखिल ख़ारिज विरुद्ध आपत्ति किया है |किन्तु आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है की आपत्तिकर्ता के आपति पत्र एवं मांगधारियों को नोटिस देकर सुनवाई की गयी है | यह भी स्पष्ट नहीं होता की दखल कब्ज़ा के बिंदु पर अंचल अधिकारी द्वारा स्वय स्थलीय जांच की गयी |ऐसी स्थिति में अंचल अधिकारी

द्वारा दिनांक 30.11.17 का पारित आदेश निरस्त किया जाता है। तथा यह ,मामला रिमांड करते हुए अंचल अधिकारी सतबरवा को को निदेश दिया जाता है कि वे आपत्तिकर्ता / मांगधारियों को सुनवाई एवं दखल कब्ज़ा के बिंदु पर स्थलीय जांच के पश्चात नए सिरे से दाखिल ख़ारिज का आदेश पारित करना सुनिश्चित करे।

लेखापीत एवं संशोधित

5/8/17

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर मेदिनीनगर

5/8/17

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर मेदिनीनगर